# भाग–2

## अध्याय–3

## राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

### प्रस्तावना

**3.1** 31 मार्च 2018 को 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1981–82 एवं 2017–18 के मध्य निगमित थे एवं इनमें 20 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम सम्मिलित थे एवं तीन अकार्यशील कम्पनियाँ अर्थात् छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड एवं सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड, जिन्होंने 2017–18 तक वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रारम्भ नहीं किया था। इस वर्ष तीन नई कम्पनियाँ अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य इनफारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड, अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड[1] एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन हुआ।

राज्य के कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में से 13 पीएसयूज का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन (***अनुलग्नक–3.1***) में सम्मिलित है एवं इन पीएसयूज का स्वरूप तालिका–3.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका–3.1: इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज की व्याप्ति एवं स्वरूप**

| पीएसयूज का स्वरूप | पीएसयूज की कुल संख्या | प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज की संख्या | | | | प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किए गए पीएसयूज की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तक के लेखें | | | योग | |
| | | 2017–18 | 2016–17 | 2015–16 | | |
| सरकारी कम्पनियाँ | 20 | 07 | 05 | – | 12 | 08 |
| सांविधिक निगम | 01 | 01 | – | – | 01 | – |
| **योग** | **21** | **08** | **05** | **–** | **13** | **08** |

इस प्रतिवेदन में वैसे आठ पीएसयूज जिनके लेखें तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या गैर–कार्यशील/परिसमापन के अधीन या जिनके प्रथम लेखें अप्राप्त हो या बकाया न हो या जिन्होंने अपना व्यवसाय संचालन प्रारम्भ न किया हो, सम्मिलित नहीं किए गए हैं जैसा कि ***अनुलग्नक–3.2*** में दर्शाया है।

राज्य सरकार समय–समय पर राज्य पीएसयूज को पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 13 राज्य पीएसयूज (जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं) में से 10[2] राज्य पीएसयूज में पूँजी निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने चार राज्य पीएसयूज[3] जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या गैर–कार्यशील/परिसमापन के अधीन या जिनके प्रथम लेखें अप्राप्त हो

---

[1] इस वर्ष एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, रायपुर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड का नाम बदलकर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड हो गया है।

[2] ***अनुलग्नक–3.1*** के स. क्र. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एवं 12 पर उल्लेखित पीएसयूज।

[3] ***अनुलग्नक–3.2*** के स. क्र. 1, 2, 4 एवं 5 पर उल्लेखित पीएसयूज।

या जिन्होंने अपना व्यवसाय संचालन प्रारम्भ न किया हो में भी पूँजी का निवेश किया। राज्य शासन ने ऐसी सात कम्पनियों, जो उपरोक्त राज्य पीएसयूज के संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियाँ हैं, में कोई पूँजी नहीं लगाई है। इन सात[4] कम्पनियों की पूँजी में संबंधित सहभागी/होल्डिंग कम्पनियाँ द्वारा योगदान दिया गया।

### *राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान*

**3.2** इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण तालिका–3.2 में दिया गया है।

**तालिका–3.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 |
|---|---|---|---|
| टर्नओवर | 7,924.14 | 8,687.38 | 8,778.13 |
| विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन | –12.61 | 9.63 | 1.04 |
| छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी | 2,34,212 | 2,62,263 | 2,91,681 |
| विगत वर्ष की जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन | 5.91 | 11.98 | 11.22 |
| छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत | 3.38 | 3.31 | 3.01 |

***(स्त्रोतः कार्यशील पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अनुसार टर्नओवर के आंकड़ों एवं छत्तीसगढ़ शासन की 2017–18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित)***

2015–16 में इन पीएसयूज के टर्नओवर में 12.61 प्रतिशत की कमी मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के टर्नओवर में कमी के कारण थी। इसके अतिरिक्त, टर्नओवर में वृद्धि हुई एवं 2016–17 में यह 9.63 प्रतिशत रही। हॉलांकि वर्ष 2017–18 की अवधि में टर्नओवर में 1.04 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि हुई। 2015–16 और 2017–18 की अवधि के बीच, टर्नओवर (–) 12.61 प्रतिशत एवं 9.63 प्रतिशत के बीच रहा जबकि इसी अवधि में राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि 5.91 प्रतिशत एवं 11.98 प्रतिशत के बीच रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि[5] 7.59 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समयावधियों के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी की 7.59 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरूद्ध इस अवधि में गैर–ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 3.47 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015–16 के 3.38 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 3.01 प्रतिशत रह गयी।

[4] ***अनुलग्नक–3.1*** में स. क्र. 9, 10 एवं 13 पर उल्लेखित पीएसयूज एवं ***अनुलग्नक–3.2*** में स. क्र. 3, 6, 7 एवं 8 पर उल्लेखित पीएसयूज।

[5] चकवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{( 2017–18 की राशि/2015–16 की राषि)^(1/3)}–1]*100

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

**3.3** 31 मार्च 2018 तक, 13 राज्य पीएसयूज[6] जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के निवेश का विवरण ***अनुलग्नक–3.3*** में विवरणित है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज को निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा गया है :

1. पीएसयूज जो खुली बाजार प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकार प्राप्त पीएसयूज): छत्तीसगढ़ में, 13 कार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज को रखा गया है क्योंकि इनका संचालन का स्वरुप एकाधिकार/अल्पधिकारी का है अर्थात इनके संचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत ही सीमित प्रतिस्पर्धा है।
2. निश्चित आय वाली पीएसयूजः इस वर्ग में ऐसे पीएसयूज सम्मिलित हैं जिनकी आय के वृहद भाग निश्चित आय के स्त्रोतों से प्राप्त होती है जैसे सरकारी अनुदान/सब्सिडी, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि। इस वर्ग में नौ पीएसयूज को रखा गया है।
3. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूजः इस वर्ग में दो पीएसयूज को रखा गया है जो प्रतिस्पर्धी बाजार में व्यवसाय करते हैं।

**3.4** 31 मार्च 2018 को इन राज्य पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र–वार सारांश तालिका –3.3 में दिया है।

**तालिका– 3.3: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

| क्षेत्र | पीएसयूज की संख्या | निवेश | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूँजी | | | दीर्घावधि ऋण | | | कुल |
| | | राज्य सरकार | भारत सरकार | अन्य[7] | राज्य सरकार | भारत सरकार | अन्य[7] | |
| एकाधिकार प्राप्त पीएसयूज | 2 | 25.88 | 0.92 | – | – | – | – | **26.80** |
| निश्चित आय वाली पीएसयूज | 9 | 22.30 | – | 2.22 | 159.57 | – | 223.32 | **407.41** |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज | 2 | 1.00 | – | 4.90 | 179.32[8] | – | 7.48 | **192.70** |
| **कुल (इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज)** | **13** | **49.18** | **0.92** | **7.12** | **338.89** | – | **230.80** | **626.91** |
| पीएसयूज जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हैं | 8 | 31.35 | – | 129.30 | – | – | 233.98 | **394.63** |
| **कुल योग** | **21** | **80.53** | **0.92** | **136.42** | **338.89** | – | **464.78** | **1,021.54** |

***(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखों एवं ऋणों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)***

31 मार्च 2018 को, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 13 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य[9] ₹ 626.91 करोड़ था। कुल निवेश में पूँजी

[6] इसमें ऐसे पीएसयूज, जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या गैर–कार्यशील/परिसमापन के अधीन या जिनके प्रथम लेखें अप्राप्त हो या बकाया न हो या जिन्होंने अपना व्यवसाय संचालन प्रारम्भ न किया हो, सम्मिलित नहीं है।

[7] अन्य में होल्डिंग कम्पनियाँ, वित्तीय सस्थानों, बैकों द्वारा निवेश सम्मिलित है।

[8] ऋण की राशि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त हुई है इसलिए इसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश माना गया है।

[9] पूँजी की वास्तविक कीमत जो अंशधारकों द्वारा भुगतान की गयी।

9.13 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 90.87 प्रतिशत थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों के 54.49 प्रतिशत (₹ 338.89 करोड़) थें जबकी कुल दीर्घावधि ऋणों का 40.51 प्रतिशत (₹ 230.80 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (₹ 52.08 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (₹ 171.24 करोड़) एवं संबंधित होल्डिंग कम्पनियों (₹ 7.48 करोड़) से प्राप्त किया गया।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 13 राज्य पीएसयूज में निवेश 2015–16 के ₹ 278.96 करोड़ से 124.73 प्रतिशत बढ़कर 2017–18 में ₹ 626.91 करोड़ हो गया। निवेश में वृद्धि का मुख्य कारण 2015–16 से 2017–18 के दौरान दीर्घावधि ऋणों में ₹ 343.85 करोड़ की वृद्धि थी।

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

**3.5** वर्ष 2017–18 की अवधि में, राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य पीएसयूज में विनिवेश, पुनर्संरचना या निजीकरण नहीं किया गया।

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

**3.6** छत्तीसगढ़ शासन राज्य पीएसयूज को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों में पीएसयूज को वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं ऋण का पूँजी में परिवर्तन के रूप में बजटीय सहायता का संक्षिप्त विवरण तालिका–3.4 में दिया गया है।

**तालिका– 3.4: वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण[10] | 2015–16 | | 2016–17 | | 2017–18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पीएसयूज की संख्या | राशि | पीएसयूज की संख्या | राशि | पीएसयूज की संख्या | राशि |
| अंश पूँजी की निकासी (अ) | – | 0.00 | 1 | 4.00 | – | – |
| दिये गये ऋण (ब) | 2 | 31.00 | 1 | 81.86 | 1 | 2.81 |
| प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (स) | 7 | 2,129.38 | 9 | 2,883.71 | 9 | 3,292.31 |
| **कुल निकासी (अ+ब+स)** | **8** | **2,160.38** | **11** | **2,969.57** | **10** | **3,295.12** |
| ऋण का भुगतान/अपलेखन | – | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.00 |
| ऋणो का पूँजी में परिवर्तन | – | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.00 |
| बकाया गारंटी | 1 | 26.63 | 1 | 12.00 | 1 | 8.50 |
| गारंटी प्रतिबद्धता | 1 | 26.00 | 1 | 32.50 | 1 | 32.50 |

***(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखों तथा पूँजी, ऋणों एवं गारंटियों के स्वीकृति/जारी आदेश के आधार पर संकलित)***

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों में पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता व्यय का विवरण चार्ट–3.1 में दिया गया है।

[10] वर्णित राशि केवल राज्य सरकार के बजट से निकासी को दर्शाती है।

चार्ट–3.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

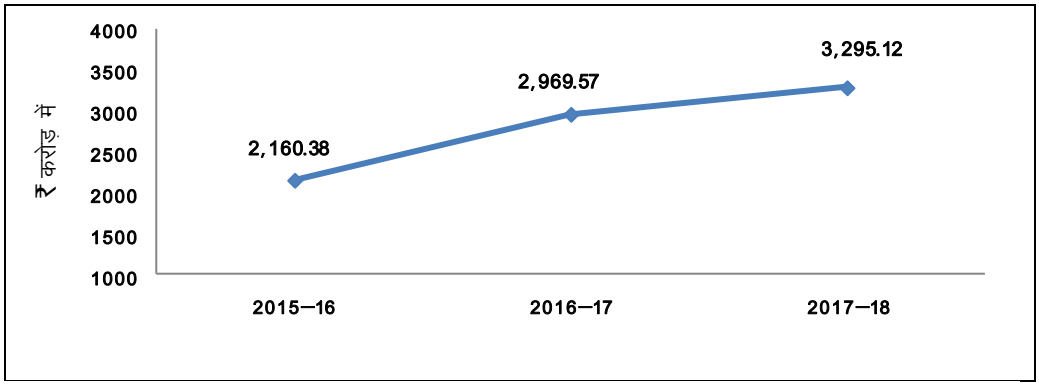


2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 2,160.38 करोड़ एवं ₹ 3,295.12 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017–18 की अवधि में प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 3,295.12 करोड़ में से ₹ 2.81 करोड़ ऋण एवं ₹ 3,292.31 करोड़ अनुदान/सब्सिडी के रुप में थे। अनुदान/सब्सिडी का वृहद हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 2,241.92 करोड़) को जनता को रियायती दरों पर खाद्यन्न प्रदान करने एवं छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड़ (₹ 853.53 करोड़) सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को (₹ 40.66 करोड़) औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को (₹ 44.72 करोड़) कृषि बीज/कीटनाशक/उपकरणों के क्रय एवं वितरण के लिए, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को (₹ 20.16 करोड़) खनिज अन्वेषण कार्य के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस गृह निगम लिमिटेड को (₹ 79.82 करोड़) पुलिस थाना/क्वार्टर के निर्माण के लिए जिसमें ₹ 5.50 करोड़ स्थापना अनुदान था, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को (₹ 0.96 करोड़) वृक्षारोपण कार्य के लिए तथा छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (₹ 0.54 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ (₹ 10 करोड़) को स्थापना व्यय मद में, भी अनुदान/सब्सिडी दी गयी।

छत्तीसगढ़ शासन, राज्य के पीएसयूज को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियमावली (सीएसजीजीआर) 2003 के अर्न्तगत, गारंटी प्रदान करता है। सीएसजीजीआर 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत, पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋण के संबधं में, छत्तीसगढ शासन द्वारा ऋण लेने वाली संस्थाओं पर एक निश्चित दर से गारंटी शुल्क भारित की जाती है, जिसकी निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि अनुदान आदेश में निर्दिष्ट होती है। बकाया गारंटी प्रतिबद्धता वर्ष 2017–18 में ₹ 32.50 करोड़ थी। वर्ष 2017–18 के दौरान, पीएसयूज द्वारा कोई गारंटी भुगतान नहीं की गई।

## छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों का समाशोधन

**3.7** राज्य पीएसयूज के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से संबंधित आंकड़ों का छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। यदि उक्त आंकड़ों का मिलान नहीं होता है, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इससे संबंधित स्थिति तालिका–3.5 में दर्शित है।

**तालिका–3.5: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी**

(₹ करोड़ में)

| संबंधित बकाया राशि | वित्त लेखों के अनुसार राशि | राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि | अंतर |
|---|---|---|---|
| पूँजी | 47.78 | 80.53 | 32.75[11] |
| ऋण | 159.57 | 338.89 | 179.32[12] |
| गारंटी | 835.31 | 832.50 | 2.81 |

*(स्त्रोतः पीएसयूज एवं वित्त लेखो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन ने निवेश किया, उनमें से सात पीएसयूज में सदृश अंतर पाये गये जैसा ***अनुलग्नक–3.4*** में दर्शाया गया है। आंकड़ों में अन्तर विगत कई वर्षों से निरतंर आ रहे हैं। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय–समय पर उठाया गया है। सर्वाधिक अंतर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (पूँजीः ₹ 19.18 करोड़[13]), छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (पूँजीः ₹ 21.50 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (पूँजीः ₹ 9.50 करोड[14]), छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (ऋणः ₹ 179.32 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम लिमिटेड (पूँजीः ₹ 1.52 करोड़) में अवलोकीत हुए। इसलिए लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयूज को अंतर का समयबद्ध तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

**3.8** 31 मार्च 2018 को, सीएजी के अधिकार क्षेत्र के अधीन कुल 21 राज्य पीएसयूज में से 18 कार्यरत पीएसयूज अर्थात् 17 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम और तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी सरकारी कम्पनियाँ) थे। राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी के लिए समयबद्धता की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है।

### *राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता*

**3.8.1** वर्ष 2017–18 के लेखे सभी कार्यशील पीएसयूज द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक अन्तिमीकृत किए जाने थे। 17 सरकारी कम्पनियों में से आठ सरकारी कम्पनियों ने अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये जबकि नौ सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। वर्ष 2017–18 के लिए

---

[11] आंकड़ों में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (सीएमडीएफ) से छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड़ (सीआरसीएल) को दिए गए ₹ 21.50 करोड़ सम्मिलित है जबकि उक्त राशि सीआरसीएल के लेखों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी निवेश के रुप में दिखायी गयी है। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों में छत्तीसगढ़ इंफोटेक संवर्धन सोसायटी (चिप्स) से छत्तीसगढ़ राज्य इनफारमेशन इनफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड (सीएसआईआईसी) को दिये गये ₹ 0.05 करोड़ सम्मिलित हैं, जबकि उक्त राशि सीएसआईआईसी के लेखों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी निवेश के रुप में दिखायी गयी है।

[12] उक्त राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीएमडीएफ से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड़ को दिये गये ₹ 179.32 करोड़ के ऋण से संबंधित है एवं जिसे सीएमडीसी के लेखों में सीएमडीएफ से ऋण के रुप में दिखाया गया है।

[13] छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ की पूँजी की राशि में अन्तर का कारण, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 7 जनवरी 2008 के आधार पर ₹ 20.11 करोड़ के ऋणों का पूँजी में रुपान्तरण है जिसका वित्त लेखे में लेखांकन नहीं किया गया है।

[14] पूँजी की राशि में ₹ 9.50 करोड़ का अंतर सीएसआईडीसी द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश वित्तीय विकास निगम (जिसका राज्य के विभाजन के पश्चात सीएसआईडीसी में विलय कर दिया गया) की पूँजी को अपने लेखों में संचय एवं आधिक्य में रखने के कारण है।

एक कार्यशील सांविधिक निगम के लेखे लेखापरीक्षा हेतु समय पर प्रस्तुत किए गए। तीन गैर–कार्यशील राज्य पीएसयूज में से दो पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 के लिए लेखे प्रस्तुत किए एवं एक पीएसयू के लेखे बकाया थे।

31 दिसम्बर 2018 को कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका–3.6 में दर्शाया गया है।

**तालिका– 3.6: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में स्थिति**

| विवरण | | सरकारी कम्पनियाँ / सांविधिक निगम | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी कम्पनियाँ | सांविधिक निगम | कुल |
| **31.03.2018 तक सीएजी की लेखापरीक्षा अधिकार के अर्न्तगत पीएसयूज की कुल संख्या** | | 20[15] | 1 | 21 |
| **घटाया – नई पीएसयूज जिनके 2017–18 के लेखे बकाया थे** | | – | – | – |
| **पीएसयूज जिनके लेखे 2017–18 के लिए बकाया थे** | | 20 | 1 | 21 |
| **पीएसयूज की संख्या जिन्होंने सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु 31 दिसम्बर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए** | | 10 | 1 | 11 |
| **बकाया लेखों की संख्या** | | 16[16] | – | 16 |
| **बकाया का विच्छेदन** | (i) परिसमापन के अधीन | – | – | – |
| | (ii) गैर–कार्यरत | 1 | – | 1 |
| | (iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किया | 2 | – | 2 |
| | (iv) अन्य | 13 | – | 13 |
| **अन्य वर्ग के बकाया का आयुवार विश्लेषण** | एक वर्ष (2017–18) | 5 | – | 5 |
| | दो वर्ष (2016–17) एवं (2017–18) | 1 | – | 1 |
| | तीन वर्ष एवं अधिक | 7 | – | 7 |

इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अंतिमीकृत एवं अंगीकृत किए जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में निरन्तर सूचित किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन ने 10 राज्य पीएसयूज, जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत नहीं हुए थे, में से पाँच को ₹ 2,597.28 करोड़ (अनुदानः ₹ 302.43 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 2,294.85 करोड़) प्रदान किये जबकि शेष पाँच पीएसयूज में उस अवधि में जिनमें लेखे बकाया थे, कोई निवेश नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा लेखों के बकाया अवधि में किये गये निवेश का पीएसयूजवार विवरण ***अनुलग्नक–3.5*** में दर्शाया गया है।

शेष पाँच पीएसयूज में लेखों के अंतिमीकरण एवं उनके उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्ययों का उचित रुप से लेखांकन किया गया एवं निधि का उपयोग उसी प्रायोजन के लिये किया गया जिसके लिये उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

[15] आंकड़ों में तीन अकार्यशील पीएसयूज सम्मिलित है।
[16] आंकड़ों में 2017–18 के लिए एक गैर–कार्यशील पीएसयू का एक लेखा सम्मिलित है।

## गैर कार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

**3.9** 31 मार्च 2018 को तीन राज्य पीएसयूज जो गैर कार्यरत[17] कम्पनियाँ थी, का कुल निवेश ₹ 338.68 करोड़ जिसमें मुख्यतः पूँजी (₹ 104.70 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 233.98 करोड़) था, जिसमें छत्तीसगढ़ सोन्धिया कोल कम्पनी लिमिटेड (पूँजीः ₹ 21.94 करोड़), सीएसपीजीसीएल एईल पारसा कोलियरीज लिमिटेड (पूँजीः ₹ 0.16 करोड़, ऋणः ₹ 2.27 करोड़) एवं सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (पूँजीः ₹ 82.60 करोड़, ऋणः ₹ 231.71 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में गैर कार्यरत पीएसयूज की संख्या तालिका 3.7 में दी गई है।

**तालिका–3.7: गैर कार्यरत राज्य पीएसयूज**

| विवरण | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 |
|---|---|---|---|
| गैर कार्यरत पीएसयूज की संख्या | – | 03 | 03 |
| उपर्युक्त में से ऐसे पीएसयूज की संख्या जो परिसमापन के अधीन थे | – | – | – |

***(स्त्रोतः सम्बन्धित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज), छत्तीसढ़ शासन एवं अनुलग्नक 3.2 में सम्मिलित जानकारी से संकलित)***

दो वर्षों से तीन गैर कार्यरत पीएसयूज के सम्बन्ध में इन पीएसयूज के समापन के संबंध में उपयुक्त निर्णय सरकार ले सकती है।

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव

**3.10** जैसा कि कंडिका 3.8 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन के रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त लेखों की बकाया की स्थिति को वर्ष 2017–18 के लिए, राज्य की जीडीपी में राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का वास्तविक योगदान और अर्जित लाभ/की हुई हानि को शामिल करते हुए उसकी लाभदायकता का आकलन नहीं किया जा सका तथा उनके राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं गया।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। शासन को भी पीएसयूज द्वारा लेखों को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

**3.11** इस प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर 2018 तक अंतिम रूप दिए गये अद्यतन लेखों[18] के अनुसार 13 पीएसयूज को शामिल किया गया है जैसा कि वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम को ***अनुलग्नक–3.1*** में दिया गया हैं ।

पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार के इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है । छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार और अन्य की कुल निवेश ₹ 626.91 करोड़ जिसमें ₹ 57.22 करोड़ पूँजी के रूप में तथा ₹ 569.69 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल 13 पीएसयूज की थी। इनमें से 10 राज्य पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन का निवेश ₹ 388.07 करोड़ है जिसमें पूँजी के रूप में

[17] तीन राज्य पीएसयूज जिनके कोल ब्लॉक रद्द करने के कारण गैर कार्यरत थे।
[18] वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखें।

₹ 49.18 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 338.89 करोड़ सम्मिलित हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति चार्ट–3.2 में दर्शाई गई है।

**चार्ट–3.2: पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में छत्तीसगढ़ शासन का कुल निवेश**

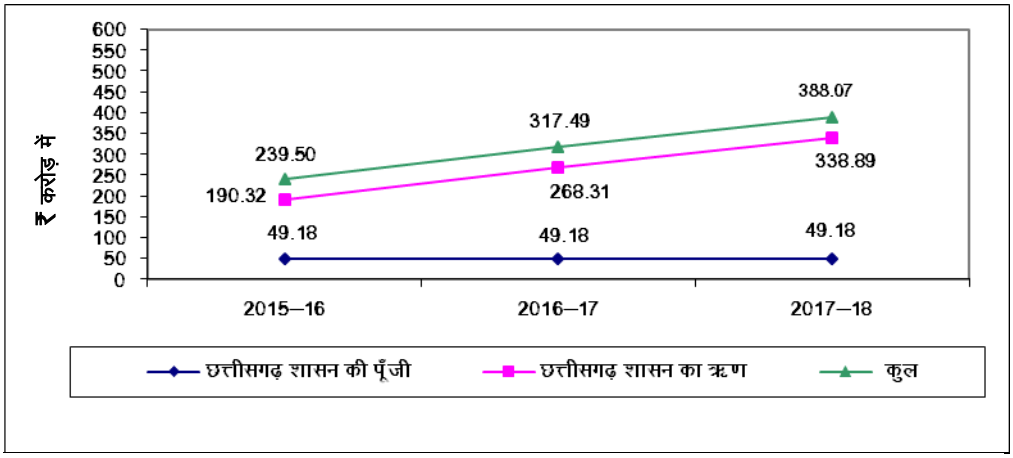


कम्पनी की लाभदायकता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि के संबंधित पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है और कुल निवेश के लाभ को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का एक माप है जिसकी गणना करों के पश्चात् के लाभों को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदायकता एवं उसी दक्षता को उसके उपयोग की गयी कार्यरत पूँजी से मापता है और जिसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

### *निवेश पर प्रतिफल*

**3.12** निवेश पर प्रतिफल जो लाभ एवं हानि का कुल निवेश का प्रतिशत है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान 13 कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ /उठायी गयी हानियों[19] की समग्र स्थिति को चार्ट–3.3 में दर्शाया गया है।

[19] आंकड़ें संबंधित वर्ष के अद्यतन अंतिम लेखों पर आधारित है।

**चार्ट–3.3: वर्षों के दौरान कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/उठायी गयी हानियाँ**

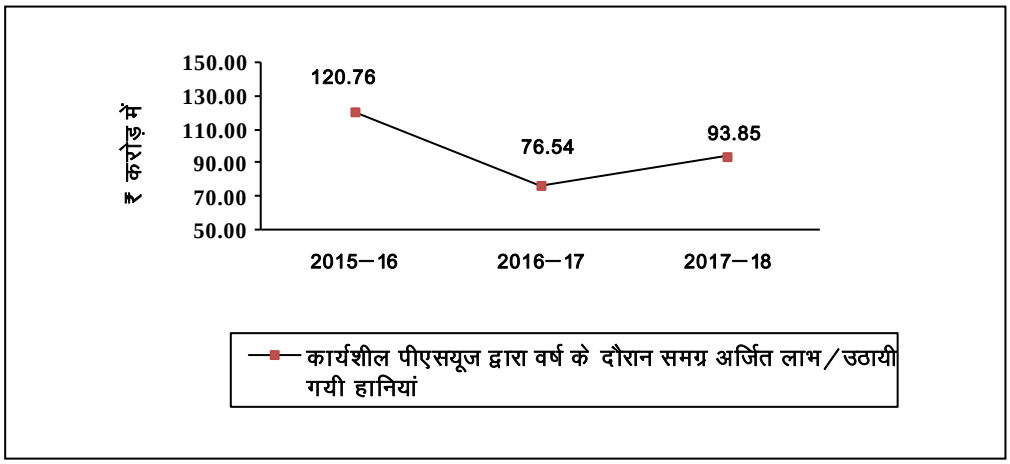


इन कार्यरत पीएसयूज में अर्जित लाभ 2015–16 में ₹ 120.76 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 93.85 करोड़ रह गया। इन कार्यरत राज्य पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 10 पीएसयूज ने ₹ 94.28 करोड़ लाभ अर्जित किया तथा तीन पीएसयूज ने ₹ 0.43 करोड़ की हानि उठायी जैसा कि ***अनुलग्नक–1.3*** में दर्शाया गया है ।

**3.12.1** 2015–16 में आठ पीएसयूज की तुलना में 2017–18 में लाभ अर्जित करने वाले कुल 10 पीएसयूज[20] थे । इन पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ 2015–16 में ₹ 122.35 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 94.28 करोड़ हो गया था। इससे, इन 10 पीएसयूज का पूँजी का प्रतिफल (आरओई) 2015–16 में आठ पीएसयूज की 18.14 प्रतिशत की तुलना में 2017–18 में घटकर 7.97 प्रतिशत रह गया। सभी 13 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) जिसमें हानि उठाने वाली तथा शून्य लाभ कमाने वाली कम्पनियों को शामिल करते हुए पूँजी पर प्रतिफल 2017–18 में 15.60 प्रतिशत था।

वर्ष 2017–18 के दौरान पीएसयूज का क्षेत्रवार लाभ का विवरण तालिका–3.8 में सारांशकृत किया गया है।

**तालिका–3.8: पीएसयूज की क्षेत्रवार लाभप्रदायकता**

| क्षेत्र | लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज की संख्या | करों के पश्चात् लाभ (₹ करोड़ में) | करों के पश्चात कुल लाभ पर लाभ का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| एकाधिकार क्षेत्र में पीएसयूज | 2 | 20.94 | 22.21 |
| निश्चित आय वाली पीएसयूज | 6 | 70.87 | 75.17 |
| प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज | 2 | 2.47 | 2.62 |
| **कुल** | **10** | **94.28** | |

***(स्रोतः पीएसयूज की अद्यतन अंतिमीकृत हुए वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित)***

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया है कि 13 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने लाभ

[20] 2016–17 से दो पीएसयूज जैसे– केसीएल और सीएमडीसी के अर्जित लाभ के आंकड़ें शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2016–17 में निगमित रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं 2017–18 में निगमित अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड में प्रारम्भ से लगातार हानि रही है।

(₹ 91.81 करोड़) 97.38 प्रतिशत अर्जित किया जो कि एकाधिकार का लाभ प्राप्त होने से अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त होने वाली निश्चित आय थी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा की दृष्टि में इन पीएसयूज की स्थिरता राज्य पर निर्भर है।

शीर्ष लाभ कमाने वाली पीएसयूज में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 33.88 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 25.91 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ( ₹ 16.20 करोड़) थी जबकि तीन[21] राज्य पीएसयूज को ₹ 0.43 करोड़ की मामूली हानि उठानी पडी थी।

31 मार्च 2018 की स्थिति पर इस प्रतिवेदन में शामिल 13 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), की 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान अर्जित लाभ/उठायी गयी हानि, की स्थिति को तालिका–3.8.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका–3.8.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2015–16 से 2017–18 के दौरान अर्जित लाभ/उठायी गयी हानि की स्थिति का विवरण**

| वित्तीय वर्ष | पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की संख्या | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या | वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या | वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिनकी मामूली[22]/शून्य लाभ/हानि थी |
|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 2016-17 | 12 | 10 | 2 | -- |
| 2017-18 | 13 | 10 | 3 | -- |

### *निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक निवेश पर प्रतिफल*

**3.13** 10 राज्य पीएसयूज जिसमें राज्य सरकार द्वारा निधियाँ निवेश की गयी थी, इन पीएसयूज की लाभदायकता का मूल्याकंन करने के लिए आय का एक विश्लेषण किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इस तरह, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए धन का वर्तमान मूल्य मान लेने के पश्चात् निवेश पर प्रतिफल की गणना की गयी है। इन कम्पनियों में 2008–09 से 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना की गयी जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त/विफल ऋण एवं पूँजी अनुदान के रूप में धन का निवेश किया गया था। 2008–09 से 2017–18 अवधि के दौरान, निवेश पर प्रतिफल इन पीएसयूज में धनात्मक था। इस प्रकार इन वर्षों के निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है एवं इसे वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेश की धनराशि पर वर्तमान मूल्य की गणना निम्न अवधारणाओं से की गई है:

- ऋण को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन के निवेश के रूप में माना गया है। यद्यपि, पीएसयूज द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में वर्तमान मूल्य की गणना पूर्ण अवधि के द्वौरान ऋण के घटे हुए शेषों पर की गयी है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध किये गये धन को पूँजीगत अनुदान के अलावा निवेश नहीं माना

[21] सीआरडीसीएल, आरएससीएल तथा एएनएससीएल
[22] ऐसी पीएसयूज जिसकी अर्जित लाभ/हानि ₹ एक लाख से कम है।

गया है चूंकि वे निवेश के रूप में माना जाने योग्य नहीं हैं जैसा कि *कंडिका 3.6* में सब्सिडी की प्रकृति को दर्शाया गया है।

- वर्तमान मूल्य की गणना के लिए छूट दर संबंधित वित्तीय वर्ष[23] के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को ब्याज के रूप में अपनाया गया है क्योंकि वह सरकार द्वारा किये गये धन के निवेश को वर्ष के दौरान लागत को दर्शाता है तथा इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया गया है।

**3.14** 10 राज्य पीएसयूज में 2008–09 से 2017–18 की अवधि के लिए पूँजी, ब्याज मुक्त/विफल ऋण एवं पूँजी अनुदान के रूप में ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के धन निवेश की पीएसयूवार स्थिति ***अनुलग्नक–3.6*** में दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त, समान अवधि के लिए इन पीएसयूज में राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को तालिका–3.9 में दर्शाया गया है।

**तालिका –3.9: 2007–08 से 2017–18 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के शुरूवात में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी पूँजी | वर्ष[24] के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण एवं पूँजी अनुदान | वर्ष के दौरान कुल निवेश | सरकार की उधारी पर ब्याज की औसत दर (% में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश पर वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के पर न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | वर्ष[25] के दौरान कुल आय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v=iii+iv | vi | vii=ii+v | viii={vii*(1 + vi)/100} | ix={vii*vi)/ 100} | X |
| 2007–08 तक | – | 15.19 | 21.11 | 36.30 | – | 53.26 | 57.51 | – | – |
| 2008–09 | 57.51 | 20.11 | –20.11[26] | 0.00 | 7.36 | 57.51 | 61.74 | 4.23 | 40.22 |
| 2009–10 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 61.74 | 66.14 | 4.40 | 40.29 |
| 2010–11 | 66.14 | 3.53 | 8.92 | 12.45 | 7.34 | 78.59 | 84.36 | 5.77 | 17.24 |
| 2011–12 | 84.36 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 7.08 | 86.36 | 92.48 | 6.11 | 28.14 |
| 2012–13 | 92.48 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.34 | 94.48 | 100.47 | 5.99 | 5.31 |
| 2013–14 | 100.47 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.12 | 101.47 | 107.68 | 6.21 | 69.47 |
| 2014–15 | 107.68 | 5.35 | 0.45 | 5.80 | 6.16 | 113.48 | 120.47 | 6.99 | 99.12 |
| 2015–16 | 120.47 | 0.00 | 81.05 | 81.05 | 6.25 | 201.52 | 214.11 | 12.59 | 120.76 |
| 2016–17 | 214.11 | 0.00 | 18.02 | 18.02 | 6.62 | 232.13 | 247.50 | 15.37 | 76.47 |
| 2017–18 | 247.50 | 0.00 | 20.16 | 20.16 | 6.38 | 267.66 | 284.74 | 17.08 | 93.95 |
| **कुल** | | **49.18** | **129.60** | **178.78** | | | | | |

[23] सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (छत्तीसगढ़ शासन) पर भारत के सीएजी का प्रतिवेदन जिसमें ब्याज के भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज का भुगतान/{(पिछले वर्ष की धनराशि पर राजकोषीय देयताएँ)/2}*100, से अपनाई गयी थी।

[24] इस कॉलम में दर्शाये गये ऋण के ऋणात्मक आंकड़ें संबंधित वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार को ऋणों का पुनर्भुगतान दर्शाता है।

[25] वर्ष के दौरान कुल आय उन 10 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिन में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था, की संबंधित वर्ष की शुद्ध आय (लाभ/हानि) के कुल योग को दर्शाता है। किसी कारण यदि किसी पीएसयू के वार्षिक लेखे किसी वर्ष लंबित है तब संबंधित पीएसयू की उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) अद्यतन अंकेक्षित लेखों से लिया गया है।

[26] छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की ₹ 20.11 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण को बजटीय सहायता के रूप में पूँजी में परिवर्तित करने वाले आंकड़े से सम्बधित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्त में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2007–08 में ₹ 36.30 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में ₹ 178.78 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2008–09 से 2017–18 की अवधि के बीच पूँजी (₹ 33.99 करोड़) एवं ऋण/पूँजी अनुदान (₹ 108.49 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी निधियों का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2018 तक ₹ 284.74 करोड़ था। वर्ष 2008–09 से 2017–18 अवधि के बीच, इन पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश की गयी निधियों की लागत वसूली करने के लिए इन कम्पनियों ने पर्याप्त लाभ (2012–13 को छोडकर) अर्जित किया।

### *पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल*

**3.15** पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[27] कम्पनियों की वित्तीय निष्पादन की एक माप है जिसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों की निधि तथा छत्तीसगढ़ शासन के ऋण से विभाजित करके की गयी है। पीएसयूज[28] जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने निवेश किया है, की क्षेत्रवार आरओई को तालिका–3.10 में दर्शाया गया है।

**तालिका– 3.10: क्षेत्रवार पूँजी पर प्रतिफल**

| स. क्र. | क्षेत्र | वर्ष 2015–16 के दौरान आरओई | | वर्ष 2016–17 के दौरान आरओई | | वर्ष 2017–18 के दौरान आरओई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पीएसयूज की संख्या | आरओई (%) | पीएसयूज की संख्या | आरओई (%) | पीएसयूज की संख्या | आरओई (%) |
| 1 | एकाधिकार क्षेत्र में पीएसयूज | 2 | 14.98 | 2 | 3.98 | 2 | 6.58 |
| 2 | निश्चित आय वाली पीएसयूज | 6 | 16.01 | 7 | 12.63 | 7 | 12.86 |
| 3 | प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पीएसयूज | 2 | (–) 1.44 | 2 | 0.34 | 2 | 1.19 |
| **कुल** | | **10** | | **11** | | **11** | |

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान एकाधिकार का लाभ होते हुए अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि सहायता प्राप्त निश्चित आय होते हुए, एकाधिकार क्षेत्र एवं निश्चित आय क्षेत्र की पीएसयूज की आरओई कम हुई। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयू (सीएमडीसी) में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में बहुत अधिक धनराशि निवेशित किया था एवं वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के लिए क्रमशः ₹ 81.05 करोड़, ₹ 95.16 करोड़ एवं ₹ 179.32 करोड़ की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में बकाया थी। हॉलांकि, वर्ष 2015–16 में प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयूज की आरओई मुख्य रूप से सीएमडीसी द्वारा (₹ –1.51 करोड़) हानि उठाये जाने के कारण (–)1.44 प्रतिशत से ऋणात्मक थी। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयू में आरओई केवल क्रमशः 0.34 प्रतिशत एवं 1.19 प्रतिशत थी। जो यह दिखाता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाली पीएसयू में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पर्याप्त धनराशि के निवेश के बावजूद आरओई उनकी आय के अनुरूप नहीं थी।

[27] पूँजी पर प्रतिफल= (कर के बाद का शुद्ध लाभ एवं अधिमान्य लाभांश/ पूँजी)*100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी+मुक्त संचय+छत्तीसगढ़ शासन के ऋण–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय।

[28] उन पीएसयूज की आरओई जिस में आरओई/शेयरधारकों की निधि धनात्मक थी।

तालिका–3.10.1 एकाधिकार[29] वाली पीएसयूज और बिना एकाधिकार वाली पीएसयूज (जिसने लाभ अर्जित की थी/शेयरधारकों की निधि धनात्मक हो) के मध्य आरओई की तुलना को दर्शाता है।

**तालिका– 3.10.1: पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल की तुलना एकाधिकार/सहायता प्राप्त आय बनाम प्रतिस्पर्धी क्षेत्र**

| वर्ष | एकाधिकार/सहायता प्राप्त पीएसयूज | | बिना एकाधिकार (प्रतिस्पर्धी) वाली पीएसयूज | |
|---|---|---|---|---|
| | पीएसयूज की संख्या | आरओई (%) | पीएसयूज की संख्या | आरओई (%) |
| 2015–16 | 8 | 15.63 | 2 | (–)1.44 |
| 2016–17 | 9 | 9.41 | 2 | 0.34 |
| 2017–18 | 9 | 10.52 | 2 | 1.19 |

## *नियोजित पूँजी पर प्रतिफल*

**3.16** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभदायकता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आरओसीई की गणना कम्पनी के करों एवं ब्याज से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[30] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज की आरओसीई का विवरण दिये गये तालिका–3.11 में दिया गया है।

**तालिका–3.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

| वर्ष | ईबीआईटी (₹ करोड़ में) | नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | आरओसीई (% में) |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | 172.26 | 784.10 | 21.97 |
| 2016–17 | 121.86 | 879.52 | 13.86 |
| 2017–18 | 140.58 | 1,186.61 | 11.85 |

यह पाया गया था कि वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि के दौरान 13 पीएसयूज की आरओसीई मुख्य रूप से वर्ष 2015–16 की तुलना में दो[31] पीएसयूज के लाभ में कमी और तीन[32] पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि होने के कारण, कम हुई थी।

## *पीएसयूज के निवल मूल्य का क्षरण*

**3.17** 31 मार्च 2018 तक, दो[33] पीएसयूज की संचयी हानियाँ ₹ 211.09 करोड़ की थी। उनमें से दो पीएसयूज की, जिसमें वर्ष 2017–18 में एक[34] पीएसयू में उठायी गयी

---

[29] एकाधिकार का अर्थ होता है– ऐसी बाजार संरचना जिसमें अकेला विक्रेता, बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेच रहा हो। एक एकाधिकार बाजार में विक्रेता की कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है जैसे माल का अकेला विक्रेता वह है जिसका कोई दूसरा स्थानापन्न न हो। एक पीएसयू को एकाधिकार में माना जाता है यदि उस भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ संचालित है कोई प्रतिस्पर्धा न हो।

[30] नियोजित पूँजी=प्रदत्त अशंपूँजी+स्वतंत्र संचय और आधिक्य+दीर्घावधि ऋण–संचित हानियाँ–स्थगित राजस्व व्यय

[31] सीआरव्हीव्हीएनएल एवं सीएसबीसीएल।

[32] सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीपीएचसीएल एवं सीएमडीसी।

[33] सीएससीएससीएल एवं सीआरडीसीएल।

[34] सीआरडीसीएल।

हानि की धनराशि ₹ 0.10 करोड़ थी और 2017–18 में एक[35] पीएसयू ने हानि नहीं उठायी थी, यद्यपि इसकी संचयी हानि ₹ 210.59 करोड़ थी।

31 मार्च 2018 तक उन दो राज्य पीएसयूज में से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निवल मूल्य (₹ 205.21 करोड़) का पूर्ण रूप से क्षरण हो चुका था जैसा कि कम्पनी की ₹ 4.43 करोड़ की पूँजी निवेश के विरूद्ध (–) ₹ 210.59 करोड़ की संचयी हानि हो गयी थी। हॉलांकि, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को वर्ष 2017–18 के दौरान बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार से सब्सिडी की प्राप्ति से, आय के रूप में अमानत राशि (ईएमडी) के हरण/निविदाओं से सुरक्षा जमा और बैंक जमाओं पर ब्याज से ₹ 1.96 करोड़ की सीमित लाभ को प्राप्त हुआ था जबकि पूँजी (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य होते हुए) कम हो चुकी थी।

### *लाभांश का भुगतान*

**3.18** राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाली पीएसयूज को कर के पश्चात् के लाभ/प्रदत्त अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता होती।

10 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) से संबंधित लाभांश भुगतान, जिनमें इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया गया को तालिका–3.12 में दर्शाया गया है।

**तालिका–3.12: वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान 10 पीएसयूज का (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) लाभांश का भुगतान**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | कुल पीएसयूज जिनमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश किया गया | | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज | | वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान | | लाभांश भुगतान अनुपात (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पीएसयूज की संख्या | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश | पीएसयूज की संख्या | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूँजी का निवेश | पीएसयूज की संख्या | पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/भुगतान | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=7/5*100) |
| 2015–16 | 10 | 49.18 | 8 | 43.28 | 2 | 4.54 | 10.49 |
| 2016–17 | 10 | 49.18 | 9 | 44.28 | 1 | 1.03 | 2.33 |
| 2017–18 | 10 | 49.18 | 9 | 44.28 | 2 | 2.41 | 5.44 |

2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज की संख्या आठ एवं नौ के मध्य सीमा में थी। इस अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या एक एवं दो के मध्य सीमा में थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 से 2017–18 के दौरान केवल 2.33 प्रतिशत एवं 10.49 प्रतिशत के मध्य सीमा में रहा। अग्रिम विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि पीएसयूज की लाभांश की घोषणा/भुगतान किये एवं लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 में 10.49 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में 5.44 प्रतिशत हो गया।

2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ एवं ₹ 0.81 करोड़ लाभांश की घोषणा/भुगतान किया था।

[35] सीएससीएससीएल।

### *पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण*

**3.19** 2015–16 से 2017–18 के दौरान ऐसी पीएसयूज जो ऋणयुक्त थी, की दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्याकंन करने के लिए किया गया। इसका मूल्याकंन ब्याज कवरेज अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

### *ब्याज कवरेज अनुपात*

**3.20** ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी पीएसयूज के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना पीएसयू की ब्याज एवं करों के पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) से पहले की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज भुगतान करने की पीएसयू की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि पीएसयू अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल बकाया ऋण वाले पीएसयूज की धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका–3.13 में दिया गया है।

**तालिका–3.13 ऋण दायित्व सहित कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का ब्याज कवरेज अनुपात**

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज एवं कर के पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में) | पीएसयूज की संख्या जिन पर ऋण दायित्व है | पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज कवरेज नुपात एक से अधिक है | पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 8.01 | 98.18 | 4 | 1 | 3[36] |
| 2016–17 | 11.75 | 86.67 | 4 | 1 | 3[37] |
| 2017–18 | 12.28 | 103.87 | 5 | 1 | 4[38] |

2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान सभी राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिन पर दीर्घावधि ऋण का दायित्व था, केवल छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने ऋण का ब्याज भुगतान किया था एवं ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। इसके अतिरिक्त, 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज भुगतान न करने वाले पीएसयूज की संख्या तीन से चार के मध्य थी जो यह दर्शाता है कि इन पीएसयूज में इस अवधि के दौरान ब्याज पर उनके व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं किया जा सका।

## राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ

**3.21** 12 सरकारी कम्पनियाँ जो इस प्रतिवेदन में शामिल है जिनमें से 12 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 13 लेखापरीक्षित लेखें 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की

[36] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं केसीएल ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया अथवा ऋण ब्याज मुक्त था।

[37] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं केसीएल ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया अथवा ऋण ब्याज मुक्त था।

[38] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं केसीएल ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया अथवा ऋण ब्याज मुक्त था। 2017–18 अवधि के दौरान सीपीएचसीएल का ऋण पर ब्याज देय नहीं था।

अवधि के दौरान महालेखाकार को अग्रेषित किये। इसमें से 12 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह दर्शाते हैं कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका–3.14 में दिया गया है।

**तालिका–3.14 कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | विवरण | 2015–16 | | 2016–17 | | 2017–18[39] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 6 | 21.41 | 6 | 93.89 | 6 | 152.23 |
| 2. | लाभ में वृद्धि | 4 | 177.42 | 3 | 1.46 | 5 | 38.41 |
| 3. | हानि में वृद्धि | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 4 | 68.11 |
| 4. | हानि में कमी | 3 | 0.24 | – | – | 2 | 179.34 |
| 5. | महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना | 6 | 581.49 | 1 | 2,007.02 | 4 | 2,218.82 |
| 6. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 3 | 17.12 | 1 | 15.37 | – | – |

*(स्त्रोतः सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)*

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 13 लेखों पर मर्यादित प्रमाण–पत्र प्रदान किये थे। पीएसयू द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना कमजोर रही थी क्योंकि चार लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालन नहीं करने के सात मामलों को इंगित किया गया।

**3.22** राज्य में एक सांविधिक निगम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम है जिसे इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। चालू वर्ष के दौरान निगम ने वर्ष 2017–18 के लिए अपना लेखा अग्रेषित किया जो पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक निगम से संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका–3.15 में दिया गया है।

**तालिका–3.15: सांविधिक निगम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| स. क्र. | विवरण | 2015–16 | | 2016–17 | | 2017–18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि | लेखों की संख्या | राशि |
| 1 | लाभ में कमी | 1 | 74.86 | 1 | 2.60 | 31 दिसंबर 2018 तक वर्ष 2017–18 के लिए लेखे अंतिमीकृत होने थे। | |
| 2 | लाभ में वृद्धि | – | – | – | – | | |
| 3 | हानि में वृद्धि | – | – | – | – | | |
| 4 | हानि में कमी | – | – | – | – | | |
| 5 | महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना | – | – | – | – | | |
| 6 | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | – | – | – | – | | |

*(स्त्रोतः सांविधिक निगम के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)*

[39] लेखों पर प्रभाव के आंकडें इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज के जो लेखे 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त किये/अंतिमीकृत किये गये है, के आधार पर लिया गया है।

## निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

**3.23** 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर प्रतिवेदन हेतु, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उत्तर प्रदान करने के आग्रह के साथ जारी किय गये। दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका पर राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त किया जा चुका है तथा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा गया है। इन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 13.52 करोड़ है।

## लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

### *लंबित उत्तर*

**3.24** भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच का उत्पाद हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वह कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) की प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में, उनकी विधानसभा में प्रस्तुतिकरण से तीन माह की अवधि के अंदर प्रेक्षित करने के निर्देश जारी (अप्रैल 2017) किये थे।

उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओ की स्थिति तालिका–3.16 में दिया गया है।

**तालिका–3.16: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 दिसम्बर 2018 की स्थिति)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष | राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ | | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां अप्राप्त है | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पीए | कंडिकाएँ | पीए | कंडिकाएँ |
| 2008–09 | 26 मार्च 2010 | 1 | 3 | – | 2 |
| 2014–15 | 31 मार्च 2016 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2016–17 | 10 जनवरी 2018 | 1 | 4 | 1 | 4 |

***(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित)***

छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं और दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दिसम्बर 2018 तक लंबित थी।

### *कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा*

**3.25** 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित पीएसयूज से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति तालिका–3.17 में दिया गया है।

**तालिका–3.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 31 दिसम्बर 2018 तक चर्चा किये गए निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिकाएँ**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित | | चर्चा की गई कंडिकाएँ | |
| | निष्पादन लेखापरीक्षा | कंडिका | निष्पादन लेखापरीक्षा | कंडिका |
| 2008–09 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2009–10 | – | 8 | – | 8 |
| 2010–11 | – | 7 | – | 5 |
| 2011–12 | – | 5 | – | 4 |
| 2012–13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2013–14 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2014–15 | 1 | 7 | – | 4 |
| 2015–16 | – | 9 | – | 2 |
| 2016–17 | 1 | 4 | – | – |

*(स्त्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित)*

वर्ष 2007–08 तक और 2009–10, 2012–13 एवं 2013–14 के लिए लेखापरीक्षा (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

### *कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन*

**3.26** नवंबर 2007 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन[40] पर राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) कार्यवाही टिप्पणियाँ (एटीएन) प्राप्त नहीं (31 दिसबंर 2018) हुई थी जैसा कि तालिका–3.18 में दर्शाया गया है।

**तलिका–3.18: कोपू प्रतिवेदनों पर अनुपालन**

| कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष | कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या | कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की कुल संख्या | अनुशंसाओं की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|
| 2002–03 | 01 | 01 | 01 |

*(स्त्रोतः कोपू की अनुशंसाओं पर छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही टिप्पणियों के आधार पर संकलित)*

उपर्युक्त दर्शाये गये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वर्ष 2002–03 के लिए सम्मिलित किये छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की कंडिकाओं के संबंध में कोपू प्रतिवेदन की अनुशंसाएँ सम्मिलित थी।

[40] वर्ष 2002–03 के लिए भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में जिसे शामिल किया है जो छत्तीसगढ़ शासन के एक विभाग अर्थात् खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित है।